2022 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. धारा 43 का संशोधन।
5. धारा 157 का संशोधन।
6. धारा 393 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड 18 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(18क)" "कुटुम्ब" से, दत्तकग्रहण सहित एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का संयुक्त कुटुम्ब, जो नगर निगम के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित स्थायी रूप से एक साथ रहता है, उपासना करता है और सहभोज करता है, अभिप्रेत है;";

(ख) खण्ड 54 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(54क)" धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।"।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्त में "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के निर्वाचन उसके नियन्त्रण से परे कारणों के कारण निगम की अवधि के दौरान संचालित नहीं किए जा सके हों तो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन नगर निगम द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियाँ और अधिरोपित कर्त्तव्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् धारा 404 में यथाउपबंधित रीति में नगर निगम के कार्यकाल के अवसान की तारीख से सम्यक् रूप से नए निकाय के गठन तक ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएंगी और उनका निर्वहन किया जाएगा।";

धारा 43 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 43 में,–

(क) खण्ड (न) के अन्त में शब्द "और" का लोप किया जाएगा; और

(ख) खण्ड (प) में "।" चिन्ह और शब्द के स्थान पर "; और" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(फ) परिवार रजिस्टर का ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए अनुरक्षण; और"।

धारा 157 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) में, "सार्वजनिक नीलामी द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या अन्यथा ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए", शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे।"।

धारा 393 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 393 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र

(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम, जिसे बनाने के लिए सरकार सशक्त है उपबंधित कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर अनुरक्षित करने की प्रथा है। तथापि, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है और शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है। अन्य दस्तावेजों के साथ परिवार रजिस्टर विभिन्न स्कीमों विशेषतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर न होने से ऐसी स्कीमों के हिताधिकारियों को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण करने हेतु उपबन्ध किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे निगमों की अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग इसके नियंत्रण से परे कारणों से निर्वाचन संचालित करने में असफल रहता है तो पूर्वोक्त अधिनियम निगमों के कार्य को किए जाने के सम्बन्ध में मौन है। अतः ऐसी संभावना से उबरने हेतु संशोधन किया जाना भी अपेक्षित है। इस अधिनियम में निगमों के अनिवार्य कृत्यों के संबंध में कोई वर्णन नहीं है। अतः नगर निगमों के अनुरूप अनिवार्य कृत्यों को न्यस्त करने हेतु उपबंध अंतःस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में वंचित और सीमान्त वर्गों को संपत्तियों का अंतरण करने हेतु कोई उपबन्ध नहीं है। अतः इस आशय का उपबंध भी किया जा रहा है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज),
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख....., 2022

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 और 5 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सशक्त करते हैं। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुरेश भारद्वाज),
प्रभारी मन्त्री।

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीख------2022

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण:

धारा :

5. निगम की अवधि.——(1) निगम इस अधिनियम की धारा 404 के अधीन जब तक पहले विघटित नहीं कर दिया जाता तब तक अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बना रहेगा।

(2) किसी निगम के गठन के लिए निर्वाचनः–

(क) उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छः मास की अवधि से पूर्व किया जाएगाः

परन्तु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए विघटित निगम बना रहेगा, छः मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए निगम का गठन करने के लिए इस धारा के अधीन निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी निगम के विघटन पर गठित किया गया कोई निगम केवल ऐसी शेष अवधि के लिए बना रहेगा जिसके लिए विघटित निगम उप–धारा (1) के अधीन बना रहता, यदि वह इस प्रकार विघटित न किया जाता।

43. निगम के बाध्यकर कृत्य.——निगम के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के लिए पर्याप्त व्यवस्था ऐसे किन्हीं साधनों या उपायों द्वारा करे जिन्हें वह विधिपूर्वक प्रयोग में ला सकता है या अपना सकता है, अर्थात्:–

(क) नालियों और जल निकास संकर्मों का तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों, और वैसी ही सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई;

(ख) सार्वजनिक और प्राईवेट प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए साधनों और संकर्मो का निर्माण और अनुरक्षण;

(ग) गन्दगी, कूड़े और अन्य घृणाजनक या प्रदूषित पदार्थों की सफाई, उनको हटाना और उनका व्ययन;

(घ) अस्वास्थ्यकर स्थलों का पुनरूद्धार, हानिकर घासपात को हटाना और साधारणतया सभी न्यूसेंसों का उपशमन;

(ङ) मृतकों की अन्तिम क्रिया के लिए स्थानों का विनियमन और उक्त प्रयोजन के लिए स्थानों की व्यवस्था और अनुरक्षण;

(च) पशु तालाब का निर्माण और रख–रखाव;

(छ) खतरनाक रोगों का निवारण और रोकथाम के उपाय;

(ज) नगरपालिका बाजारों का निर्माण और अनुरक्षण और उनका विनियमन;

(झ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन और उपशमन;

(ञ) खतरनाक भवनों और स्थानों की सुरक्षा या उनको हटाना;

(ट) सार्वजनिक पथों, पुलों, पुलियों, सेतुओं और ऐसी ही अन्य चीजों का निर्माण अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन तथा सुधार;

(ठ) सार्वजनिक पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करना, जल छिड़कना और सफाई;

(ड) पथों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में से बाधाओं और निकले हुए भागों को हटाना;

(ढ) पथों और परिसरों का नामकरण और संख्यांकन;

(ण) नगरपालिक कार्यालयों का अनुरक्षण;

(त) सार्वजनिक पार्क या उद्यान या आमोद–प्रमोद के स्थल बनाना और उनका अनुरक्षण;

(थ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् निगम में निहित होने वाले स्मारकों और संस्मारकों का अनुरक्षण;

(द) निगम में निहित या प्रबन्ध के लिए उसको न्यस्त सभी सम्पत्तियों के मूल्य को बनाए रखना और उसकी अभिवृद्धि;

(ध) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना;

(न) सड़कों के किनारों पर वृक्षों का रोपण और उनकी देखभाल इत्यादि; और

(प) भूमि और निर्माणों का सर्वेक्षण।

157. सम्पत्ति का व्ययन.—निगम की सम्पत्ति के व्ययन की बाबत निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्:—

"(क) आयुक्त, अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निगम से सम्बन्धित चल या अचल सम्पत्तियों का, सिवाय ऐसी चल या अचल सम्पत्तियों के जो लोक उपयोगिता के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों को पट्टे पर या अन्यथा दी जानी है, सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय, पट्टे पर या अन्यथा निपटान कर सकेगा;

(ख) स्थावर (अचल) सम्पत्ति के अन्तरण के पद्धति और पुरोभाव्य शर्त, निगम द्वारा बनाए विनियमों या उपविधियों द्वारा शासित होगी; और

(ग) आयुक्त, एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें स्थावर सम्पत्तियों का ब्यौरा दिया जाएगा और उक्त तालिका में, ऐसी रीति में जैसी उप विधियों द्वारा विहित की जाए, परिवर्तन, यदि कोई हो, दर्शित करते हुए वार्षिक विवरणी तैयार करेगा तथा उसे वर्ष के अन्त में विचार के लिए निगम के समक्ष रखेगा।

393. नियमों के बारे में अनुपूरक उपबन्ध.——(1) ऐसे किसी भी नियम में जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिए सशक्त है, यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 11 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH MUNICPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 5.
4. Amendment of section 43.
5. Amendment of section 157.
6. Amendment of section 393.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2022. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) (hereinafter referred to as the "principal Act"),— Amendment of section 2.

(a) after clause (18), the following clause shall be inserted, namely:—

"(18-a) "family" means a joint family of all persons descended from a common ancestor including by adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Parivar Register of the Municipal Corporation;";

(b) after clause (54) , the following clause shall be inserted, namely:—

"(54-a) "section" means the section of this Act,".

Amendment of section 5.

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), at the end of proviso for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that if the elections to a Corporation could not be conducted by the State Election Commission during the duration of the Corporation due to the reasons beyond its control, all powers and duties conferred and imposed upon the Corporation by or under this Act or any other law shall be exercised and performed by such officer or authority, as the Government may appoint in that behalf, in the manner as provided in section 404, from the date of expiry of the term of the Corporation till a new body is duly constituted after completion of the election process.".

Amendment of section 43.

4. In section 43 of the principal Act,

(a) in clause (t), at the end the word "and" shall be omitted; and

(b) in clause (u) for the sign "." the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(v) maintenance of Parivar Register in the manner as may be prescribed.".

Amendment of section 157.

5. In section 157 of the principal Act, in clause (a), "after the words "by public auction", the words "or otherwise in the manner as may be prescribed" shall be inserted.".

Amendment of section 393.

6. In section 393 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted , namely:—

"(1) Save as otherwise provided in the Act, the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(1A) Any rule which the Government is empowered to make under this Act, may provide that any contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to Rupees one Lakh.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the rural areas, there is a practice of maintaining the Parivar Register as per the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. However, in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, there is no such provision and the Parivar Register is not being maintained in the Urban Areas. Parivar Register, amongst other, is a necessary document for various schemes especially grant of social security pensions. In the absence of the Parivar Register in the Urban Areas, the beneficiaries of such schemes have to face unnecessary problems. Thus, the provisions for maintaining Parivar Register is being made in the Urban Areas also. Further, the Act *ibid.* is silent with regard to running the affairs of the Corporation in case the State Eelection Commission is unable to conduct elections during the duration of the Corporation for the reasons beyond its control. Therefore, an amendment is also required to cope up with such an eventuality. Besides this, there is no provisions in the Act to transfer the properties to the downtrodden and the marginalised sections, therefore, a provision to this effect is also being made.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The....., 2022

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4 and 5 fo the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out for purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-Charge.

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA
THE……,2022

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1994 (ACT NO. 12 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections :

5. Duration of Corporation.—(1) The Corporation, unless sooner dissolved under section 404 of this Act, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting.

(2) An election to constitute the Corporation shall be completed –

(a) before the expiry of its duration specified in sub-section (1);
(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Corporation would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this section for constituting the Corporation for such period.

(3) A Corporation constituted upon its dissolution before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Corporation would have continued under sub-section (1) had it not been so dissolved.

43. Obligatory functions of Corporation.—It shall be incumbent on the Corporation to make adequate provisions by any means or measures which it may lawfully use or take for each of the following matters, namely:-

(a) the construction, maintenance and cleaning of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences;
(b) the construction and maintenance of works and means for providing supply of water for public and private purposes;
(c) the scavenging, removal and disposal of filth, rubbish and other obnoxious or polluted matters;
(d) the reclamation of unhealthy localities, the removal of noxious vegetation and generally the abatement of all nuisances;
(e) the regulation of places for the disposal of the dead and the provision and maintenance of places for the said purpose;
(f) the construction and maintenance of cattle pond;

(g) measures for preventing and checking the spread of dangerous diseases;
(h) the construction and maintenance of municipal markets and the regulation thereof;
(i) the regulation and abatement of offensive or dangerous trades or practices;
(j) the securing or removal of dangerous buildings and places;
(k) the construction, maintenance, alteration and improvements of public streets, bridges, culverts, cause ways and the like;
(l) the lighting, watering and cleaning of public streets and other public places;
(m) the removal of obstructions and projections in or upon streets, bridges and other public places;
(n) the naming and numbering of streets and premises;
(o) the maintenance of municipal offices;
(p) the laying out of the maintenance of public parks, gardens or recreation grounds;
(q) the maintenance of monuments and memorials vested in a local authority in the municipal area immediately before the commencement of this Act or which may be vested in the Corporation after such commencement;
(r) the maintenance and development of the value of all properties vested in or entrusted to the management of the Corporation;
(s) the fulfilment of any other obligation imposed by or under this Act or any other law for the time being in force;
(t) planting and care of trees on road sides etc.; and
(u) survey of buildings and lands.

157. Disposal of property.—With respect to the disposal of property belonging to the Corporation, the following provisions shall have effect, namely:—

(a) the Commissioner, with the prior approval of the Standing Committee constituted under sub-section (4) of section 40 of the Act, may dispose of, by sale, lease or otherwise, any movable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise, to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility;

(b) the mode and condition precedent to the transfer of immovable property, shall be governed by regulations or byelaws made by the Corporation; and

(c) the Commissioner shall maintain a register giving therein the detail of the immovable properties and prepare annual statement indicating the changes,

if any, in the said inventory, in such manner as may be prescribed by bye-laws and shall place the same before the Corporation for consideration at the end of the year.

393. Supplemental provisions respecting rules.—(1) Any rule which the Government is empowered to make under this Act may provide that any contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the House agrees to making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.